सं0–07/ ।।–2009–07(27)/2006

प्रेषक,

अजय सिंह नबियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड,
यमुना कालोनी देहरादून।

सिंचाई अनुभाग, देहरादून, दिनांक, 19 फरवरी 2010

विषयः– हरिद्वार में गंगा तट पर ठोकर नं0–18 के समीप घाट निर्माण किए जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके पत्रांक–3087/मु0अ0वि0/नि0 अनु0/के–1, दि0–22.12.2009 में अंकित सहमति/संस्तुति के क्रम में जन सुविधा को दृष्टिगत् रखते हुए शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिए गए निर्णयानुसार स्वामी शास्वत, निवासी ग्राम हरिपुर कलां, देहरादून, उत्तराखण्ड को जनपद हरिद्वार में गंगा तट पर ठोकर नं0–18 के समीप स्थित कच्चे घाट को स्वयं के व्यय पर पक्का घाट निर्माण किए जाने की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है।

1. घाट एवं उसमें प्रयुक्त भूमि का स्वामित्व सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड का रहेगा।
2. घाट का सार्वजनिक रूप से प्रयोग किया जायेगा तथा घाट पर दीवारबन्दी अथवा गेट में तालाबंदी कर जन साधारण के आवागमन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नही किया जाएगा।
3. घाट परिसर पर किसी प्रकार का अस्थाई/स्थाई निर्माण कर दुकान/अन्य व्यवसाय संचालित नही किया जाएगा।
4. घाट का प्रयोग केवल स्नान आदि के लिए ही किया जायेगा। अन्य किसी भी गतिविधि के लिए अनुमति नही दी जायेगी।
5. घाट निर्माण से जन सामान्य के आवागमन एवं उनके परम्परागत् उपयोग में व्यवधान उत्पन्न होने की दशा में शासन द्वारा प्रदान की गई अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी।
6. महाकुम्भ मेला अवधि में घाट निर्माण किए जाने की दशा में कुम्भ मेलाधिकारी से अनापत्ति प्राप्त की जायगी।

भवदीय,

(अजय सिंह नबियाल)
सचिव।

क्रमशः/2

स0–07 / II–2010–07(27) / 2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. मेलाधिकारी, महाकुम्भ–2010, हरिद्वार।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4. मुख्य अभियन्ता, गंगा घाटी, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
5. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।
6. स्वामी शास्वत, ग्राम व पो0 हरिपुर कलां, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, दे0दून
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।